अपील सूचना अधिकार संख्या 147/2020 (RCMS 2020/00264) श्री हरपाल सिंह सुधन, एडवोकेट पुत्र महताब सिंह, चैम्बर नं. 5ए, कचहरी परिसर, रायसिंहनगर (मो. 96678–61073) बनाम तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर

25.10.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी हरपाल सिंह उपस्थित नहीं हुआ। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 09.10.2020 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने एवं सूचना दिलवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील दिनांक 26.11.2020 को पेश की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.10.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थीः

> प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र वास्ते करने किश्त जमा ग्राम 3 एससी(ए) का मुरब्बा नम्बर 5 की 25 बीघा आवेदन दिनांक 03.01.1977 जो तत्कालीन तहसीलदार, अनूपगढ के समक्ष किया गया, आवंटी सुरेन्द्र कौर पुत्री दलीप सिंह साकिन 3 एससी(ए) हाल जैतसर तथा 2 प्रति रिपोर्ट पटवारी तथा 3. प्रमाणित प्रति किश्त जमा के आदेश श्रीमान् तहसीलदार, अनूपगढ दिनांक 03.01.1977।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:26:17 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर को इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/20/1550 दिनांक 03.12.2020 से अपीलार्थी की अपील के

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सम्बन्ध में टिप्पणी मय कार्यालय का रिकॉर्ड चाहा गया था, जो आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान हैः

> **<u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।**
>
> **परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।**

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है अथवा नहीं? जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर को प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है और तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर को **आदेश दिया जाता है कि** अपीलार्थी चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 10 दिवस में निर्णय लेकर प्रार्थी को सूचित करें। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर को **पालनार्थ भिजवाई जाकर अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:26:17 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 25.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर